

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द आहकाम


गुंन २१/१६ तारीख रज् 2.5.16

उनावन जगन्ती बनाव संगीता बगे

दावा का मत घोषणा ज्वोतदारी एवं एवायी जिपशात्र

पाकी की ओर से उी गदनगोहन डार्गी व. ने दावा का मत घोषणा ज्वोतदारी एवं एवायी जिपशात्र पेश किया।
 धापण पत्र बजागा वन्दी का अय जो कब किया गया।
 दावा दर्ज रोजी स्ट्र कर प्रतिवादी गण के कोरिसे रोजी स्ट्र सम्मन जारी कर दिनांक 11-7-16 को पेश हो।

156 को
2.5.16


 उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करोली)

3516 दादी वकील उपस्थित। जनरल केरिसे पेश हो।
 प्रतिवादी नं. 3 व 4 की ओर से सी सुनील कुमार जिंदल ने वकालतनामा पेश किया तथा 192 की ओर से उपस्थित दर्ज कएई। प्रतिवादी नं. 5, 6 का बज्रुद सूचना उपस्थित नहीं है उनके खिलाफ एक पक्षीप कार्रवाही आगलमे लाई जाती है पेश के वकालतनामा व जखष दिनांक 11-8-16 को पेश हो।


 11-8-16

1016 वकालत उप प्रतिवादी नं. 3 व 4 का जखष पेश किया वकालत दिलाई गई। प्रतिवादी नं. 1 व 2 के वकील ने कथन दिया कि प्रतिवादी गण के अनुसार पेशी नहीं करनी है इस कथन अनुसार प्रतिवादी नं. 1 व 2 के खिलाफ एक पक्षीप कार्रवाही की जाती है वल्ले कापदी लकीपात कि 22.8.16 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

नांक	फर्द अहकाम
११.३.१७	वकुलाय उप. / वादी साक्ष्य पेश करने दि. ११.५.१७ को पेश हो।
११.५.१७	वकुलाय उप. / वादी वकील को साक्ष्य पेश करने की हिदायत की। दिनांक ११.५.१७ को पेश हो।
११.५.१७	वकुलाय उपस्थित, पीएस न अधिकारी के समक्ष है। गतानुसार दिनांक ३०.५.१७ को पेश हो।
३०.५.१७	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत - वाय अपकेडा क्रेम अजीजपुर में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। इस वादपत्र में आरजी खसरा क्रमांक ३६२, ३६५, ३६६, ३६८ के तकासा करने, घोषणा खातेदारी का उल्लेख कर वादी गण जयमती व जगदीश ने प्रस्तुत किया है। तथा संगीता, सुनीता, माया, रामलाल को पक्षकप बनाया गया है। वादपत्र के साथ नबल जमाबंदी सेवत २०७१-७५ के खाल संख्या १५३ के मकल पेश की है जिसे अनुसार रामलाल, जगदीश, पि० दुर्गालाल संगीता सुनीता पुत्रियां जगन्नाथ ५१० दुर्गालाल के नाम हिस्सा १/३-१/३ खातेदारी दर्ज की है।</p> <p>इन्ही खसरा नबल का दावा व्यक्त तकासा व स्वामी निषेधाज्ञा का उनबली रामेश्वरी नाम जयमती प्रस्तुत हुआ है। खसरा नबल ३६२, ३६५, ३६६, ३६८ की वर्तमान में खातेदारी जमाबंदी सेवत २०७१-७५ के खाल संख्या १५३ में नोट अंकित हो रहे हैं। जयमती देवी की वी० ठप्पीराम मीन के नाम हिस्सा १/३ तथा</p>

रामेश्वरी

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

रामेश्वरी 170 मनो हरी लाल श्रीका के नाम 2/3 हिस्सा है।
 इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी रिकार्ड के अनुसार वादीन 2 जगदीश
 एवं प्रतिवादी संगीता, सुनीता माया, रामलाल के नाम
 खतिदारी नहीं है। ~~कमिश्नर जमाबंदी के काम में~~
~~जमाबंदी के काम में~~ जाह इनमें से कोई भी उपस्थित हुआ अ
 जब ये वादी एवं प्रतिवादी के काम खतिदारी ही नहीं है
 तो तक्रार नहीं कराया जा सकता है। तथा वादीन
 कि पीते ढाड़ी राम ने उपस्थित होकर कथन किया है कि
 इन वसुधा नभवान में हिस्सा 1/3 की खतिदारी मेरी
 पालि के काम है तथा मोचे पर करजा काशन के अंतर्गत
 का दावा रामेश्वरी के नाम जपमेती की चल रहा है
 उसमें बंधारा करा दिया जावे। अब इस मुकदमे का
 चलाये रखने की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही उनकी
 प्रकण रामेश्वरी के नाम जपमेती में शामिल जमाबंदी का
 अवलोकन किया इस प्रकण में पक्षकण खतिदा न ही
 रहे है। इसलिए इस प्रकण को आगे चलाये रखने का
 कोई औचित्य नहीं है।

अतः दावा इसी स्टेज पर खारिज
 किया जाता है। फर्द डिक्ली जारी हो। पत्रावली
 कैसल शुभान होकर जमा से कम होकर दारिखल
 दफ्तार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.5.17 को लिखा जा सक
 खुले न्यायालय दिनांक अजीजपुर में सुनाया जाय
 (जगदीश अर्ज)